भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 696

उत्तर देने की तारीख : 17.09.2020

एमएसएमई हेतु पुनरुद्धार पैकेज

696. श्री रघु राम कृष्ण राजूः
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:
श्री मलूक नागरः
श्री डी. के. सुरेशः
एडवोकेट ए. एम. आरिफः
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठीः
श्री बैन्नी बेहननः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने क लिए हाल ही में लगाए गए लॉकडाउन के कारण हुई आर्थिक मंदी के आलोक में देश में एमएसएमई के लिए क्रेडिट सहायता प्रदान करना प्रारंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कोविड राहत पैकेज के भाग के रूप में एमएसएमई के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार प्रदान की गई सहायता की कुल प्रमात्रा कितनी है;

(ग) क्या संस्थागत ऋण लेने वाली और तीन वर्षों के भीतर स्थापित एमएसएमई हेतु किसी प्रकार का अधिस्थगन प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित एमएसएमई के पुनरुद्धार हेतु किसी विशेष पैकेज की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में एमएसएमई पर विमुद्रीकरण, जीएसटी कार्यान्वयन और कोविड-19 महामारी के पृथक प्रभाव संबंधी कोई अध्ययन प्रारंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) लॉकडाउन के कारण एमएसएमई क्षेत्र में नौकरियां खोने वाले कामगारों की संख्या कितनी है और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद हुई एमएसएमई की संख्या कितनी है; और

(छ) विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र के मुद्दों के समाधान के लिए इनकी पुनर्बहाली हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 27 मार्च, 2020 के कोविड-19 नियामक पैकेज के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 के दौरान देय धनराशि की सभी किश्तों/ब्याज के भुगतान पर तीन माह के अधिस्थगन को अनुमति प्रदान की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुन: 22 मई, 2020 को इस अवधि की परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के साथ दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक के अगले 3 माह के लिए ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन अवधि का विस्तार कर दिया था (कुल 6 माह की अधिस्थगन अवधि जो 1 मार्च, 2020 से शुरु हुई थी)। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित अग्रिम राशि की पुनर्संरचना पर दिनांक 6 अगस्त, 2020 की अपनी अधिसूचना के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के स्तर को किसी प्रकार से कम किए बिना दिनांक 01.03.2020 को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत 25 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई को दिए गए मौजूदा ऋण के लिए एकबारगी पुनर्संरचना विंडो का दिनांक 31 मार्च, 2021 तक विस्तार कर दिया है।

इसके अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए से अधिक के कॉरपोरेट निवेश जोखिम के मामले में पात्र संस्थानों के संबंध में कोविड-19 से जुड़े दबाव के लिए संकल्प संबंधी रूपरेखा पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 6 अगस्त, 2020 की अधिसूचना के अनुसार संकल्प संबंधी रूपरेखा में ऋणदाताओं को उनके बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार दो वर्ष तक के अधिस्थगन की अनुमति प्रदान की गई है जो मामले से संबंधित तथ्यों पर निर्भर करेगा।

इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार ने आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की घोषणा की है जो एमएसएमई को अपनी इकाइयों का पुनरुद्धार करने में सहायता प्रदान करेगा। ईसीएलजीएस के अंतर्गत ऋण सुविधा का अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधी ऋण (बैंकों तथा एफआई के मामले में) तथा अतिरिक्त सावधी ऋण (एनबीएफसी के मामले में) का ऋण प्राप्तकर्ताओं की पात्र श्रेणी के एसएमए-0 तथा एसएमए-1 खातों के रूप में विस्तार किया गया है। इस पैकेज में अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी) भी शामिल है जिसमें दबावग्रस्त एमएसएमई अर्थात एसएमए-2 तथा एनपीए खातों जो ऋण प्रदाता संस्थानों के खातों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संरचना के लिए पात्र हैं, के संवर्धकों तक ऋण प्रदाता संस्थानों के जरिए ऋण सुविधा मुहैया कराने का भी प्रावधान किया गया है। संवर्धक एमएसएमई में ऋण को अर्द्ध इक्विटी या उप-ऋण के रूप में समाविष्ट करेगा।

(ङ) से (छ) : देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विमुद्रीकरण, जीएसटी कार्यान्वयन तथा कोविड-19 महामारी के प्रभाव का सरकार द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश के विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों/औद्योगिक संघों के साथ कई परामर्श बैठकों का आयोजन किया था। विचार-विमर्श के दौरान हितधारकों द्वारा कतिपय समस्याओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था जिसमें सुगमता से वित्त की प्राप्ति, अधिक तरलता, ऋण पर अधिस्थगन की आवश्यकता शामिल थी।

*****